1

आंध्र प्रदेश राज्य

बनाम

डॉ. के. रामचंद्रन

7 जनवरी, 1998

[सघिर अहमद और जी. बी. पटनायक, जे. जे.]

सेवा कानूनः

ए. पी. सिविल सेवा (अनुशासनात्मक कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1960.

धारा 4 (जैसा कि यह 1993 के ए. पी. अधिनियम - 6 द्वारा संशोधन से पहले था) - अनुशासनात्मक कार्यवाही - न्यायाधिकरण के संदर्भ में - आवश्यकता इस बात कि - न्यायाधिकरण को मामला भेजे बिना कर्मचारी पर दंड अधिरोपित करना - वैद्यता - माना गया कि - अनुशासनात्मक मामले को न्यायाधिकरण को संदर्भित करना अनिवार्य है, दंड लगाया गया जो अधिकारी क्षेत्र के बिना लगाया गया है, इसलिए अवैद्य है।

विधि की व्याख्याः

व्याख्या के नियम- सहायक नियम - अनिवार्य या निर्देशिका, संशोधन - शब्द "Shall" के स्थान पर शब्द "May'' - यह दर्शाता है कि संशोधित प्रावधान विवेकाधीन है जबकि असंशोधित प्रावधान अनिवार्य है।

अपीलकर्ता राज्य ने 5 साल की अवधि के लिए प्रतिवादी की पेंशन मंे 20 प्रतिशत की कटौती का जुर्माना लगाया था। एक अन्य आदेश द्वारा अपीलार्थी ने प्रतिवादी के निलंबन की अवधि को कार्य पर बिताई गई अवधि मानने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने उपरोक्त आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सरकार के क्षेत्राधिकार में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं आता है और ऐसी कार्यवाही सरकार द्वारा न्यायाधिकरण को ए. पी. सिविल सेवा (अनुशासनात्मक कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1960 की धारा 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट की जानी चाहिए। अतः यह अपील ए. पी. अधिनियम - 1993 की धारा 4 को ए. पी. अधिनियम - 1993 की धारा 6 द्वारा संशोधित किया गया था और 4 में आने वाले शब्द "Shall (होगा) '' को प्रतिस्थापित कर मूल अधिनियम में धारा 4-ए डालकर "May" शब्द डाला गया। अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने पाया कि

1.1) ए. पी. सिविल सेवा (अनुशासनात्मक कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम। 1960 की धारा 4 में आने वाले शब्द "Shall (होगा)" को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी द्वारा कदाचार करने के मामले को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। जब प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, सरकार के पास प्रतिवादी द्वारा किए गए कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उसके पास मामले को न्यायाधिकरण को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। [26 जी-एच; 27-ए]

1.2) अधिनियम की धारा 4 जो अनिवार्य थी, उसे ए. पी. अधिनियम - 1993 की धारा - 6 द्वारा संशोधित की गई थी और धारा 4 में आने वाले शब्द "Shall (होगा)" को शब्द "May'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था जिसने सरकार को मामले को न्यायिाकरण को भेजने के लिए संदर्भित करने या न करने का विवेकाधिकार दिया। धारा 4-ए जिसे इसमें सम्मिलित किया गया था उसी संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम यह भी इंगित करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मामले को न्यायाधिकरण को संदर्भित करें या न करें या पहले से ही न्यायाधिकरण को संदर्भित किसी भी मामले को वापस लेने के लिए, सरकार के अधिनियम - 1993 की धारा-6 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के बाद ही उपलब्ध होगा और उससे पहले नहीं। (27 बी-सी) सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1986 की सिविल अपील संख्या 9141 आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आर. पी. सं. 62 - 1982 दिनंाक 22.6.85 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से श्री जी. प्रभाकर।

प्रतिवादी के लिए एक - पक्षीय।

न्यायालय का निर्णय माननीय द्वारा दिया गया था।

सघिर अहमद, जे. द्वारा जी. ओ. (एम. एस.) एम. एंड एच दिनंाक 3 मार्च, 1981

आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए प्रतिवादी की पेंशन

मंे 20 प्रतिशत की कटौती का जुर्माना लगाया था। एक अन्य आदेश जी. ओ. 1278 एम एंड एच दिनंाक 10.8.1981, द्वारा सरकार ने प्रतिवादी के निलंबन की अवधि को कार्य पर बिताई गई अवधि मानने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी द्वारा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त दोनों आदेशों को चुनौती दी गई जिसे न्यायाधिकरण ने 22 जून, 1985 के अपने निर्णय द्वारा याचिका को मंजूरी दी और उपरोक्त आदेशांे को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्यवाहीयों को संचालन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संचालन करने का क्षेत्राधिकार केवल आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (अनुशासनात्मक कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1960 के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह तर्क देता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए 1960 के अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के बावजूद सरकार नियोक्ता और प्राधिकरण है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही में सजा का अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं एवं अपने कर्मचारियों के खिलाफ कदाचार के लिए विभागीय रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखते हैं और इसलिए सरकार के निर्णय के बावजूद न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत दृष्टिकोण रखना सही नहीं है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं।

अधिनियम की उप-धारा (2) (डी) 'न्यायाधिकरण' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है धारा 3 के तहत गठित न्यायाधिकरण । धारा 2 (सी) 'निर्धारित' शब्द को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित।

अधिनियम की धारा (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"न्यायाधिकरण का प्रत्येक सदस्य एक न्यायिक अधिकारी होगा जिसकी स्थिति जिला न्यायाधीश की होगी और उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से सरकार द्वारा की जाएगी।"

अधिनियम की धारा 4 को आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा - 6 के संशोधन से पहले निम्न रूप से उल्लेख किया गया था:

"4. न्यायाधिकरण को भेजे जाने वाले मामलेः सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर अधिरोपित कदाचार के आरोप की जांच एवं रिपोर्ट करने के लिए न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामले को सन्दर्भ करेगी जो और जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं''।

अधिनियम के तहत नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे और थे और जो जी. ओ. एम. एस. सं. 895 जी. ए. (सर-डी) के तहत दिनंाक 18 जुलाई , 1961, को प्रकाशित की गयी थी जिसमें दुराचार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

"2 (ख) "कदाचार" का अर्थ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 (1947 का केंद्रीय अधिनियम प्प्) की धारा 5 (1) के तहत आपराधिक कदाचार के समान होगा और साथ ही साथ इसमें निर्दिष्ट कोई अपराध और परंतुक के तहत बनाए गए नियमों का कोई भी जानबुझकर उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास शामिल होगा जो की संविधान के अनुच्छेद - 309 के तहत बनाये गये नियम के सन्दर्भ में जैसा कि उस धारा के खंड (ग) के सन्दर्भ में लोक सेवाओं और संबंधित पदों और पदों पर नियुक्त व्यक्ति जो की राज्य के मामलों

के साथ सम्बन्धित है'। (जी. ओ. म.स. नं. 1026, जी. ए. (सर-डी), दिनांक 16.2.1969."

नियम 3 जो प्रासंगिक नियम है, नीचे उदधृत किया गया हैः

"नियम 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सरकार, अधिनियम की धारा 4 के तहत जांच और रिपोर्ट के लिए न्यायाधिकरण सन्दर्भ कर सकती है।

(क) कदाचार के मामले में वैसे सरकारी कर्मचारीयों से संबंधित मामला जो मूल वेतन के रूप में रू. 360 और उपर प्रति माह प्राप्त करते हो एवं

(ख) कदाचार के मामले में वैसे सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामला जो मूल वेतन के रूप में रू. 600 से कम प्रति माह प्राप्त करते हो एवं वैसे सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामला जो मूल वेतन के रूप में रू. 360 और उपर प्रति माह प्राप्त करते हों, संयुक्त रूप से कदाचार से जुड़े मामलों के संबंध में उसी लेन-देन के दौरान किया गया कदाचार शामिल है (जी.ओ.म.स. संख्या 490 जी. ए. डी. (सर-डी) दिनांकित 25.7.1980.

बशर्ते कि किसी भी न्यायाधिकरण को संदर्भित करना आवश्यक नहीं होगा जिस मामले में न्यायाधिकरण ने किसी भी पिछले चरण में अपनी रिपोर्ट दी है और पारित किए जानेवाले आदेश के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए कोई नया प्रश्न नहीं है। (जी.ओ.ंम.स.संख्य. 718, जी. ए. (सेर सी), दिनांकित 8 अक्टूबर, 1976."

2((क) किसी भी मामले में जहां दो या दो से अधिक सरकारी कर्मचारी संबंधित है सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश देने का आदेश दे सकती उन सभी के खिलाफ एक साझा कार्यवाही की जा सकती है और इसके बाद न्यायाधिकारण तदनुसार ऐसे मामले की

जांच करेगी।" (जी.ओ.म.स. संख्या 862), जी. ए. दिनंाक 9.8.1972 ।

(3) उप-नियम (1) या (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायिक विभाग में उत्पन्न होने वाले मामले और वैसे उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जो मुख्य न्यायाधीश के नियम बनाने के नियंत्रण में आते हैं वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 में निर्धारित किये प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जाएगा।

उपरोक्त नियम के तहत, वैसे कर्मचारी, जिनके मामले न्यायाधिकरण को भेजे जाने हैं निर्दिष्ट किया गया है। यदि कोई उपरोक्त श्रेणी का कर्मचारी इसके अंतर्गत आता है जिसने कदाचार किया, उसका मामला, असंशोधित धारा - 4 को देखते हुए विशेष रूप से अधिनियम में " ैभ्।स्स् " शब्द के उपयोग के कारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही अभिनिर्धारित करने के लिए उस अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को भेजा जायेगा। यह देखा जाएगा कि न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से सरकार द्वारा नियुक्त जिला न्यायाधीश के पद का न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है।

यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय पर, जब प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किया गया था, सरकार को कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही आयोजित कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उसके पास मामले को न्यायाधिकरण को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

अधिनियम की धारा 4 जो अनिवार्य शर्तों में थी, आंध्र प्रदेश अधिनियम - 1993 की धारा - 6 द्वारा संशोधित की गई थी और धारा - 4 में आने वाले शब्द " ैभ्।स्स् (होगा) " को " ड।ल् "

शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसने सरकार को मामले को न्यायाधिकरण को संदर्भित करने या न करने का निर्देश दिया। धारा - 4 ए, जिसे उसी संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसे 1993 का आंध्र प्रदेश अधिनियम - 6 भी कहा जाता है, ने सरकार को न्यायाधिकरण से किसी भी भी स्तर पर किसी भी मामले को उसके समापन से पहले वापस लेने की शक्ति दी। यह फिर से इंगित करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मामले को न्यायाधिकरण को भेजने या न भेजने का विकल्प या पहले से न्यायाधिकरण को भेजे गए किसी भी मामले को वापस लेने का विकल्प, 1993 के अधिनियम 6 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के बाद ही सरकार को उपलब्ध हुआ।

इसलिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय ऐसे किसी भी त्रुटि या अवैद्यता से ग्रसित नहीं है, परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।